फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक..............मुकाम......................मादरा...............................

....ताराचंद.....बनाम.. मोतीलाल आदि ....

किस्म मुकदमा............212 आरटीएक्ट ....न० 48 सन्............ 2021...............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
29.06.2021	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता मुंशीराम गोस्वामी के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं० 316/306 के खसरा सं० 361 की 1.834है0, खसरा सं० 1069/973 की 2.213है0 कुल 4.047है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में अप्रार्थी सं० 1 अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 11.08.2021 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसल। अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी. से करवाकर रसीदे न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 11.08.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
11.8.21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते तामील शेष दिनांक 27/8/21 को पेश हो।	
27.08.21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उप०। पत्रावली वास्ते तलबी शेष हेतु दिनांक 04.10.21 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

05.10.2021

राजीनामा हो
गया चलाना
नहीं चाहते
Notpress

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर प्रस्तावना
उपस्थित अभिभाषक रामअवतार जैन मय
हुए। वकील वादी ने अपना दावा समझौता
होने के कारण Not Press में खारीज
करवाना निवेदन है अतः दावा खारीज होने
पर प्रार्थना पत्र 212 में आदेश चलाने
का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 ... के पत्र
खारीज किया जाता है पत्रावली नम्बर
से कम हो दफ्तर दाखिल हो

(शिविर प्रभारी)
... (फास्ट ट्रैक) ...
प्र.गा. संग अ.-2021
... रामअवतार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner